



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35479-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 43641/2007

सुरेंद्र कुमार याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : जे.पी. पांडे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., डी. अवस्थी, मोहम्मद सलीम खान

एएफआर

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती स्वरूपामा चतुर्वेदी

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री जे.पी. पांडे, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अधिवक्ता मो. सलीम खान की ओर से पेश अधिवक्ता श्री उत्कर्ष खरवार और राज्य के स्थायी अधिवक्ता श्री मुकुल त्रिपाठी की बातें सुनीं और अभिलेख देखा।

2. इस कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता का दावा है कि वह 'एम/एस एन.बी. इंडस्ट्रीज़' नाम की प्रोप्राइटरशिप फर्म के पुराने मालिक (जो उनके पिता थे) को स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से मिले लोन के मामले में एक 'तीसरी पार्टी' है।

3. बताया गया है कि बकाया रकम वसूलने और कर्ज़ चुकाने के लिए, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने फर्म की इंडस्ट्रियल यूनिट की नीलामी पहले ही कर दी थी और अब वह याचिकाकर्ता से उसके पिता की मौत के बाद के सात सालों का ब्याज वसूलना चाहता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दो मुख्य तर्क दिए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(i) पहला, वसूली की रकम 10 लाख रुपये से ज़्यादा है, जिसे स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 'रेवेन्यू रिकवरी एक्ट, 1890' या 'उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज़ (रिकवरी ऑफ़ ड्यूज़) एक्ट, 1972' के प्रावधानों का इस्तेमाल करके ज़मीन के लगान के बकाये के तौर पर वसूल नहीं कर सकता; जैसा कि काउंटर एफिडेविट में माना गया है।

(ii) दूसरा, याचिकाकर्ता को अपने पिता की प्रोप्राइटरशिप विरासत में नहीं मिली थी, इसलिए उस पर प्रोप्राइटरशिप फर्म का बकाया चुकाने की ज़िम्मेदारी नहीं डाली जा सकती; क्योंकि इंडस्ट्रियल यूनिट की नीलामी और बिक्री हो चुकी है, इसलिए किसी ऐसी तीसरी पार्टी पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी जिसका प्रोप्राइटरशिप फर्म से कोई लेना-देना नहीं था।

4. अपनी पहली दलील के समर्थन में, अधिवक्ता ने इस कोर्ट की डिवीज़न बेंच के 'मन मोहन राय बनाम उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और अन्य, 2014 (8) ए.डी.जे. 25 (डी.बी)' मामले के फैसले का हवाला दिया है और कोर्ट के सामने उस फैसले के पैराग्राफ नंबर 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16 और 17 पेश किए हैं।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. यह तर्क दिया गया है कि उस मामले में यह कानूनी सवाल उठाया गया था कि क्या उत्तर प्रदेश के तहत वसूली की कार्यवाही की जा सकती है या नहीं। 'पब्लिक मनीज़ (रिकवरी ऑफ़ ड्यूज़) एक्ट, 1972' के संदर्भ में, नए कानूनों का आना - जैसे कि 'रिकवरी ऑफ़ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट, 1993' और 'सिक्वोरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्वोरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002'।

6. श्री पांडे ने पॉइंट नंबर (i) पर अपनी दलीलों को मज़बूत करने के लिए दो कानूनों के संबंधित प्रावधान पेश किए हैं और साथ ही काउंटर एफिडेविट के पैराग्राफ नंबर 44 का भी सहारा लिया है।

7. इन दलीलों का जवाब देते हुए, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अधिवक्ता ने काउंटर एफिडेविट में बताए गए कारणों के आधार पर रिकवरी का बचाव करने की कोशिश तो की, लेकिन वे इसके उलट कोई फैसला नहीं बता पाए, और न ही कोई ऐसा फैसला पेश कर पाए जिससे यह नतीजा निकाला जा सके कि मन मोहन राय (ऊपर ज़िक्र किया गया) मामले में दिए गए फैसले का असर बाद में कम हो गया था।

8. संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेख देखने के बाद, हम सबसे पहले पॉइंट नंबर (i) के तहत उठाई गई दलील पर विचार करेंगे। अगर हमारी सोच के मुताबिक यह दलील सही मानी जाती है, तो कानूनी तौर पर रिकवरी गलत हो जाएगी और पॉइंट नंबर (ii) पर विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

9. इस मामले में जारी किए गए पेपर बुक के पेज नंबर 37 पर अभिलेख में शामिल रिकवरी सर्टिफिकेट से पता चलता है कि इसे उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने रेवेन्यू रिकवरी एक्ट, 1890 (1966 में संशोधित) के तहत जारी किया था। इसे दिल्ली (पश्चिम) के डिप्टी कमिशनर को भेजा गया था ताकि वे इसके बाद ज़रूरी रिकवरी का आदेश जारी कर सकें। अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने रिकवरी सर्टिफिकेट के खिलाफ अथॉरिटी के सामने अर्जी दी थी, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर ने 28.08.2007 के आदेश से उसे खारिज कर दिया। इस आदेश को इस कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसलिए, ऐसा लगता है कि दिल्ली के कमिशनर द्वारा आगे की कार्रवाई किए जाने से पहले ही, याचिकाकर्ता ने इस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और 12.09.2007 को अंतरिम सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर लिया।

10. हमने रिकवरी सर्टिफिकेट को देखा है और इससे पता चलता है कि मूल राशि शून्य है, जबकि पिछले सात वर्षों के लिए 21.06.2005 से ₹7,340.06 प्रति दिन की दर से ब्याज लगाया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने अपने कर्ज़ को चुकाने के लिए फ़र्म की सभी संपत्तियां बेच दी हैं और अब ब्याज की वसूली के लिए आदेश जारी किया गया है।

11. रिकवरी सर्टिफिकेट में दी गई बातों को पढ़ने पर, हम पाते हैं कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1951 की धारा 32जी के तहत स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बकाया की वसूली के लिए रेवेन्यू रिकवरी एक्ट, 1890 का सहारा लिया गया है। एक्ट, 1951 की धारा 32जी के तहत संबंधित प्रावधान नीचे दिए गए हैं:-

"धारा 32जी. फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को देय राशि की वसूली ज़मीन के लगान के बकाये के रूप में? जब किसी औद्योगिक इकाई को दी गई किसी सुविधा के संबंध में फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को कोई राशि देय होती है, तो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या इस संबंध में लिखित रूप में उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति, वसूली के किसी अन्य तरीके पर असर डाले बिना, राज्य सरकार को अपनी देय राशि की वसूली के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि राज्य सरकार या ऐसी अथॉरिटी, जिसे सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद संतुष्ट हो जाती है कि कोई राशि देय है, तो वह कलेक्टर को उस राशि के लिए सर्टिफिकेट जारी कर सकती है, और कलेक्टर ज़मीन के लगान के बकाये के रूप में उस राशि की वसूली की कार्रवाई करेगा।"

12. ऊपर बताए गए प्रावधानों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पास ज़िले के कलेक्टर के माध्यम से औद्योगिक इकाई से बकाया राशि वसूलने की शक्ति है, जो ज़मीन के लगान के बकाये के रूप में बकाया राशि वसूलने के लिए रिकवरी ऑफिसर के रूप में काम करेगा। इसलिए, स्वाभाविक रूप से, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की सिफ़ारिश के आधार पर वसूली की कार्रवाई शुरू करने के लिए रेवेन्यू रिकवरी एक्ट, 1890 लागू होगा। हालांकि, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के डिप्टी सीनियर मैनेजर

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(कानून) श्री के.एस. सोनकर द्वारा दिए गए काउंटर एफिडेविट के पैरा नंबर 33 को देखने पर पता चलता है कि रिकवरी सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज़ (रिकवरी ऑफ़ ड्यूज़) एक्ट, 1972 के तहत जारी किया गया था। इस तरह, काउंटर एफिडेविट के पैरा नंबर 33 में की गई इस बात को मानते हुए, रिकवरी के 'लैंड रेवेन्यू' (जमीन के लगान) होने के स्टेटस पर कोई विवाद नहीं होगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट के तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा।

13. यह माना जा सकता है कि वसूली एक करोड़ रुपये से ज्यादा की है, जो शायद किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को दिए गए लोन पर ब्याज के बकाया के तौर पर हो सकती है। इसलिए, सही सवाल यह है कि क्या ऐसी वसूली की जा सकती थी, जबकि 'रिकवरी ऑफ़ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स एक्ट, 1993' (जिसे आगे '1993 का एक्ट' कहा गया है) के प्रावधानों को देखते हुए 'यू.पी. पब्लिक मनीज़ (रिकवरी ऑफ़ ड्यूज़) एक्ट, 1972' के तहत 10 लाख रुपये से ज्यादा की वसूली नहीं की जा सकती थी। यह बात तब और भी अहम हो जाती है जब स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन द्वारा वसूली की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही 'सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटीज़ इंटरैस्ट एक्ट, 2002' लागू हो चुका था।

14. कानूनी मुद्दे पर विवाद में हमें और ज्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवीज़न बेंच का फैसला मौजूद है और उसके उलट कोई दूसरा फैसला हमारे सामने पेश नहीं किया गया है। मन मोहन राय (ऊपर ज़िक्र किया गया) मामले में डिवीज़न बेंच ने इस खास मुद्दे और '1993 के एक्ट' की धारा 34 के असर पर विचार किया है।

15. हालाँकि ऊपर बताया गया सवाल (i) याचिकाकर्ता के पक्ष में हल हो गया है, लेकिन हम यहाँ '2002 के एक्ट' पर भी ध्यान देना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, बैंकिंग और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बकाया राशि की वसूली के लिए इस एक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

16. 'सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरैस्ट एक्ट, 2002' की धारा 2(1)(एम) में 'फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन' (वित्तीय संस्थान) को इस तरह परिभाषित किया गया है: -

"धारा 2(1)(एम) : 'फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन' का मतलब है - (i) कंपनीज़ एक्ट, 1956 (1956 का 1) की धारा 4A के तहत आने वाला पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन;

(ii) 'रिकवरी ऑफ़ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स एक्ट, 1993' (1993 का 51) की धारा 2 के क्लॉज़ (एच) के सब-क्लॉज़ (ii) के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बताया गया कोई भी संस्थान;

(iii) 'इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (स्टेट्स, इम्युनिटीज़ एंड प्रिविलेज) एक्ट, 1958' (1958 का 42) के तहत बनाया गया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन;

(iii a) बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड और सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज़ के लिए नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी;

(iii बी) एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, चाहे वह खुद ऐसा काम कर रही हो या सिक्योरिटाइज़ेशन या एसेट रिकंस्ट्रक्शन के मकसद से बनाए गए ट्रस्ट को मैनेज कर रही हो, जैसा भी मामला हो;

(iv) 'रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1934' (1934 का 2) की धारा 45-1 के क्लॉज़ (एफ) में परिभाषित कोई अन्य संस्थान या नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए इस एक्ट के मकसद से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर बता सकती है।"

17. 'सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरैस्ट एक्ट, 2002' की धारा 2(1)(एम.ए.) में 'फाइनेंशियल लीज़' को इस तरह परिभाषित किया गया है: -

"धारा 2(1)(एम.ए.) 'फाइनेंशियल लीज़' का मतलब है किसी लीज़ एग्रीमेंट के तहत किसी ठोस संपत्ति (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट के अलावा) की लीज़, जिसमें लेसर (पट्टेदार) के अधिकार एक

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निश्चित समय के लिए लेसी (पट्टेदार) को ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसके बदले में समय-समय पर तय रकम का भुगतान किया जाता है, और जहाँ लेसी लीज़ की अवधि खत्म होने पर या तय बची हुई रकम का भुगतान करने पर (जैसा भी मामला हो) उस संपत्ति का मालिक बन जाता है।"

18. उत्तर प्रदेश राज्य का 'स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन' कानूनों के तहत बनाया गया एक संस्थान है, जिसका काम किसी भी रकम के लिए औद्योगिक इकाई शुरू करने के लिए लोन देना और फाइनेंशियल लीज़ देना है। इसके लिए राज्य विधानसभा ने एक व्यापक कानून, 'स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1951' बनाया था। चूँकि यह कानून के तहत बिना किसी वित्तीय सीमा के बनाया गया एक कॉर्पोरेट निकाय है, इसलिए यह नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 'सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' की किसी भी अपवाद वाली धारा के दायरे में नहीं आएगा जो इसे अपना बकाया वसूलने या कर्ज़ चुकाने के लिए रिकवरी की कार्रवाई करने से रोक सके।

19. इसलिए, इन हालात में, हमारी राय में 'स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन' को भी 'सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' की धारा 13(4) के तहत बताए गए उपाय अपनाने चाहिए थे।

20. खास तौर पर पूछे जाने पर, प्रतिवादी कॉर्पोरेशन 'सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' का ऐसा कोई प्रावधान हमारे ध्यान में नहीं ला सका जो 'स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन' को इस एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई करने से रोकता हो, खासकर तब जब यह एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और 2002 के एक्ट (जिसका ज़िक्र ऊपर किया गया है) में बताई गई 'फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन' की परिभाषा के दायरे में आता है।

21. इसलिए हमारी भी यही राय है कि 'सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' के प्रावधानों को देखते हुए, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को 'रेवेन्यू रिकवरी एक्ट, 1890' या 'यू.पी. पब्लिक मनीज़ (रिकवरी ऑफ़ ड्यूज़) एक्ट, 1972' का सहारा लेने के बजाय 'सेक्शन 13(4)' के तहत उपाय अपनाने चाहिए थे।

22. इस तरह, ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, रिकवरी सर्टिफिकेट को रद्द किया जाना चाहिए और सिर्फ़ इसी आधार पर याचिका को मंजूरी दी जानी चाहिए। जहाँ तक ज़िम्मेदारी से जुड़े दूसरे सवाल की बात है, तो वह स्थिति अभी नहीं आई है क्योंकि हम रिकवरी को ही सही नहीं मान रहे हैं। इस सवाल पर किसी उचित मामले में फैसला किया जाएगा, जब यह मामला रिकवरी के संबंध में इस कोर्ट के सामने विचार के लिए आएगा—यानी यह देखा जाएगा कि क्या यह कानूनी रूप से और उचित रूप से सही है।

23. इसलिए, रिट याचिका सफल होती है और उसे मंजूरी दी जाती है। 30.09.2005 के रिकवरी सर्टिफिकेट के आदेश को रद्द किया जाता है; साथ ही, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के सक्षम अधिकारी द्वारा 09.07.2007 के आदेश के ज़रिए रिकवरी सर्टिफिकेट को सही ठहराने के फैसले को भी रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों के लिए यह खुला है कि वे कानून में उपलब्ध प्रावधानों का सहारा लेकर, अगर सही हो तो, किसी अन्य तरीके से रिकवरी की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं।

(स्वरूपमा चतुर्वेदी, न्यायमूर्ति) (अजीत कुमार, न्यायमूर्ति)

17 फरवरी, 2026

#विक्रम/-

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"